



॥ पुलिस थाना मथानिया जोधपुर पूर्व ॥

ps.mathaniya.east.jodhpur@rajpolice.gov.in

02926-222124

दिनांक 01.9.2023

॥ प्रेस नोट ॥

➤ स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर हत्या करने के जुर्म मे तीन गिरफतार

घटना का विवरण:- दिनांक 30.8.2023 को मोतीराम पुत्र सुरजाराम जाति भार्गव उम्र 52 वर्ष निवासी देशनोक पुलिस थाना देशनोक बीकानेर का हूँ जो कि मेरा भतीजा कानाराम पुत्र राजुराम भार्गव उम्र 37 वर्ष निवासी नोखा हाल निवासी उमेदनगर मे अपने ससुर के साथ मे किराये के मकान मे रहता था जो कि घर जवाई था आज दिनांक 30/08/2023 को सुबह करीब सात बजे अपने ससुर के साथ मे मोटर साइकिल पर उमेदनगर से निकल कर ओसिया की तरफ जा रहे थे मोटर साइकिल को भंवरलाल चला रहा था तथा मेरा भतीजा कानाराम पीछे बैठा था सरहद किरमसरिया मे हाईवे पर धात लगाकर बैठे एक काले रंग की स्कॉर्पियो ने मोटर साइकिल को जोर से टक्कर पीछे से मारी जिसमे 1कानाराम पुत्र मांगीलाल 2भीयाराम पुत्र मांगीलाल 3पप्पूराम पुत्र मांगीलाल 4ताराचन्द्र पुत्र मांगीलाल जातिगण देशन्तरी निवासी गण तापू सवार थे और गाड़ी कानाराम चला रहा था टक्कर मारने से मेरा भतीज कानाराम वे उसका ससुर भंवरलाल घायल हो गये जिनको बुधराम पुत्र मांगीलाल ने अस्पताल ले जाकर ईलाज शुरू करावाया दौराने ईलाज मेरे भतीज की मौत हो गई ये घटना मेरे भतीज के ससुराल मे आपसी भाईयो के रंजिस के चलते की है। उक्त चारों ने मिलकर मेरे भतीजे कानाराम की हत्या की है। ये कि बुधराम ने हमे सुचना दी की आपके भतीज की हत्या कर दी गई वगैरा पर प्रकरण संख्या 205 / 2023 दिनांक 30.8.2023 धारा 302,307 / 34 भादस मे दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

- ❖ **किया गया अनुसंधान:-** श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, श्री रवि दत्त गौड एवं श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदया डॉ अमृता दुहन, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व श्रीमान नाजीम अली व सहायक पुलिस आयुक्त वृत्त मण्डोर श्रीमान पीयुष कविया के दिशा निर्देशन मे प्रकरण हाजा की गम्भीरता को देखते हुये मन थानाधिकारी हरिसिंह दुधवाल निपु मय टीम गठित कर प्रकरण हाजा मे दिनांक 31.8. 2023 को अभियुक्त कानाराम पुत्र स्व श्री मांगीलाल जाति देशन्तरी निवासी उंचला बेरा तापू पुलिस थाना ओसियां , 2. ताराचन्द्र पुत्र स्व श्री मांगीलाल जाति देशन्तरी निवासी उंचला बेरा तापू पुलिस थाना ओसियां को दस्तावाब किया गया। दिनांक 30.8.2023 को प्रातः6.45 एम पर सुचना मिली की एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को टक्कर मारी है उक्त ईतला पर मौके पर पहुँचकर पतारसी व गहनता से अनुसंधान किया गया। खास मुखबीर ईतला से पता किया गया तो भाईयो के आपस मे जमीन बंटवारे व फैरी मांगने के एरिये को लेकर विवाद चलना सामने आया जिस पर उक्त मुलजिमानो की पतारसी कर मुलजिमानो को गिरफतार किया गया व घटना मे प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। तीनो मुलजिमो को न्यायालय के समक्ष पेश कर तीन दिन का प्रिसी रिमाण्ड प्राप्त किया गया है। अभियुक्तगण से अनुसंधान जारी है।
- ❖ **अभियुक्तगणो द्वारा घटना कारित किया जाने का तरिका वारदात:-** अभियुक्तगणो द्वारा दिनांक 29.8.2023 को उम्मेदनगर मे पिडित पक्ष की रैकी की व दिनांक 30.8.2023 को रैकी करके इनके ब्लेक स्कॉर्पियो से पिछे आये व अभियुक्तगणो का बड़ा भाई भंवरलाल व उसके साथ कानाराम किरमसरिया हाईवे पर जा रहे थे तो अभियुक्तगणो ने स्कॉर्पियो गाड़ी नम्बर आरजे 19 यूए 0356 से मोटरसाइकिल पर जा रहे अपने भाई भंवरलाल, भंवरलाल के पावणा कानाराम को जान से खत्म करने के लिये पिछे से टक्कर मारी जिससे भंवरलाल घायल हो गया व कानाराम की मृत्यु हो गयी।

फोटो अभियुक्तगण



सही/-
(हरिसिंह दुधवाल निपु)
थानाधिकारी
पुलिस थाना मथानिया
जोधपुर पूर्व।